HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 14768/2025
CNR: RJHC020973652025 | URN: CRLMB / 28486U / 2025

Mahendra Prasad S/o Chaniram, R/o Palyu Polic Station Dholicheena District Almoda Uttarakhand Present Address Samvidakarmi Manager Drdo Guest House, Chandan Field Firing Range Jaisalmer. (Presently Accused Confined In Central Jail).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Manak Chand Jain
For Respondent(s)	:	Ms. Manju Dave, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

09/09/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत अपनी नियमित जमानत हेतु यह प्रार्थना–पत्र पुलिस थाना–स्पेशल पुलिस स्टेशन राजस्थान जयपुर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **5/2025** अपराध अन्तर्गत धारा 3, 9 शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 में जमानत का लाभ दिए जाने की प्रार्थना के साथ पेश किया गया है।

पूर्व आदेश की पालना में अनुसंधान अधिकारी श्री बलराम, उप–निरीक्षक पुलिस व श्री झाबरमल, सहायक उप–निरीक्षक, स्पेशल पुलिस स्टेशन राजस्थान जयपुर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हैं।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उनका तर्क है कि इस मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 12.08.2025 को दर्ज करवाई गई थी, परन्तु अनुसंधान की समस्त कार्यवाही इससे पहले ही कर लिया जाना दर्शित है। उनका तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त

से मोबाइल फोन भी पहले ही जब्त कर लिए गये थे। उनका तर्क है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में जिन दो मोबाइल फोन क्रमशः (1) Vivo Model V 2308 (2) Vivo Model V 2432 का हवाला आया है, उनमें से Vivo Model V 2308 में दो सिम नंबर 8875500531 & 7877418973 लगी होना बताया गया है, जबकि तथाकथित व्हाट्सएप मैसेज, जो प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा किसी विदेशी व्यक्ति को भिजवाया जाना बताया गया है, वह मोबाईल नम्बर 89449445781 से भिजवाया जाना प्रकट हुआ है। उनका तर्क है कि 89449445781 नंबर वाली सिम Vivo Model V 2432 में लगी होना बताया गया है, जबकि उस मोबाइल फोन का कोई डेटा रिकार्ड होना अनुसंधान से प्रकट नहीं हुआ है। साक्षी झाबरमल सहायक उप–निरीक्षक, स्पेशल पुलिस स्टेशन राजस्थान जयपुर ने अपने धारा 180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत लिए गए कथन में यह कहा है कि दूसरा मोबाइल वीवो मॉडल संख्या V 2432 में संदिग्ध डेटा नहीं मिला।

उनका तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त पर यह आक्षेप लगाया गया है कि उसने किसी विदेशी व्यक्ति, जिसका नाम J P Singh Sir के नाम से मोबाइल में सुरक्षित (Save) कर रखा था तथा जिसका मोबाईल नम्बर 8284896315 होना बताया गया है, पर भारतीय सुरक्षा से सम्बन्धित गोपनीय सूचनाऐं भिजवाया जाना बताया गया है, जबकि यह मोबाईल नम्बर 8284896315 अनुसंधान के दौरान पंजाब में रहने वाली किसी कंवलजीत कौर के नाम से पंजीकृत होना पाया गया है। उनका तर्क है कि कंवलजीत कौर नाम की उक्त महिला भारत में निवास करती है और इस कारण यह नहीं कहा जा सकता कि इस नम्बर पर, पाकिस्तान में रह रहे किसी व्यक्ति को सूचनाएं भिजवाई जा रही थीं। उनका तर्क है कि मोबाईल नम्बर 8284896315 की कॉल–डिटेल रिपोर्ट भी अनुसंधान के दौरान प्राप्त की गई है परन्तु यह रिपोर्ट मात्र दो पृष्ठों की है, जिसमें प्रार्थी/अभियुक्त को इस अपराध से जोडने की सामग्री नहीं है। उनका तर्क है कि कंवलजीत कौर के कथन भी अनुसंधान के दौरान लेखबद्ध नहीं किए गये हैं।

उनका तर्क है कि आरोप पत्र में ही यह अंकित किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त को तथाकथित पैसे किसके द्वारा दिए गये, यह ज्ञात नहीं हो सका है। ऐसी

स्थिति में, प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पैसों के लिए देश की गोपनीय सूचनाऐं विदेश में किसी व्यक्ति को भिजवाये जाने का अपराध प्रमाणित नहीं है।

उनका तर्क है कि शासकीय गुप्त बात अधिनियम की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत ऐसे मामलों में परिवाद प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है तथा परिवाद पर ही उक्त अपराधों में प्रसंज्ञान लिया जा सकता है। किन्तु वर्तमान मामले में तो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई है और ऐसी स्थिति में इस मामले में प्रसंज्ञान लिया ही नहीं जा सकता और प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध उक्त कार्यवाही चलने योग्य ही नहीं है। अपने तर्कों के समर्थन में उनकी ओर से निम्न न्यायिक विनिश्चय प्रस्तुत किया :–

Aniruddha Bahal, Niraj Kumar and Thomas Mathew

Vs. Central Bureau of Investigation

2014 SCC Online Del 3263

उनका यह भी तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आक्षेपित अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है तथा धारा 480(6) बी.एन.एस.एस. के प्रावधानों के अन्तर्गत 60 दिवस की अवधि में आरोप–पूर्व साक्ष्य आरम्भ नहीं हुई है, अतः प्रार्थी/अभियुक्त जमानत प्राप्त करने का अधिकारी है। अपने तर्को के समर्थन में उनकी ओर से निम्न न्यायिक विनिश्चय प्रस्तुत किया :–

Pradeep Kumar @ Ankit Vs. State of Rajasthan

S.B. Criminal Misc. 3rd Bail Application No. 16907 /2025

Order dated 28-1-2026

उनका यह भी तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 12.08.2025 से निरन्तर अभिरक्षा में है तथा अभी प्रकरण में आरोप पूर्व साक्ष्य में एक भी साक्षी परीक्षित नहीं हुआ है, जबकि अभियोजन साक्ष्य सूची में 22 साक्षीगण हैं। उनका तर्क है कि उक्त विलम्ब और अभिरक्षा अवधि के आधार पर प्रार्थी–अभियुक्त जमानत प्राप्त करने का अधिकारी है। अपने तर्को के समर्थन में उनकी ओर से निम्न न्यायिक विनिश्चय प्रस्तुत किया :–

Pradeep Kumar @ Ankit Vs. State of Rajasthan

S.B. Criminal Misc. Bail Application No. 13496/2025

Order dated 20-8-2026

उक्त तर्क प्रस्तुत करते हुए उन्होंने प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना की।

उक्त तर्कों के विरोध में विद्वान लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त के आधिपत्य से जो दो मोबाईल फोन Vivo Model V 2308 व Vivo Model V 2432 बरामद हुए हैं, इनमें से Vivo Model V 2432 में मोबाइल में 89449445781 नम्बर की सिम थी, जो प्रार्थी/अभियुक्त महेन्द्र के नाम से थी तथा इसी सिम से Vivo Model V 2308 में व्हाट्सएप डाउनलोड कर व्हाट्सएप चलाया जा रहा था तथा इसी में पाकिस्तान स्थित व्यक्ति, जिसका नाम J P Singh Sir के नाम से सुरक्षित (Save) किया गया है, को भारतीय सुरक्षा को खतरा पैदा करने वाली सूचनाऐं प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा भिजवाई रही थी। उनका तर्क है कि पाकिस्तान के जिस व्यक्ति के नम्बर 8284896315 के रूप में सुरक्षित (Save) किए गये हैं तथा प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा जिसको गोपनीय सूचनाऐं भेजा जाना बताया गया हैं, अनुसंधान के दौरान उसका आई.पी. एड्रेसस पाकिस्तान स्थित इस्लामाबाद का आया है। जिससे स्पष्ट है कि उक्त व्हाट्सएप इस्लामाबाद से संचालित (Operate) किया जा रहा है। अब प्रकरण में कंवलजीत कौर नाम की महिला, जिसके नाम पर मोबाईल नम्बर 8284896315 की सिम है, से अनुसंधान किया गया है और अभी तक एक अन्य व्यक्ति सागर, जिसका नाम कंवलजीत द्वारा बताया गया है, से अनुसंधान किया जाना शेष (Pending) है। प्रार्थी/अभियुक्त ने व्हाट्सएप मैसेज के साथ–साथ कुछ गोपनीय दस्तावेजों (चांदन फील्ड फायरिंग रेंज में परीक्षण हेतु आने वाले भारतीय सेनाओं व डी.आर.डी.ओ. अधिकारियों से सम्बन्धित सूचनाओं के फोटोग्राफ) की प्रतियां भी भिजवाई हैं, जिससे भारतीय सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न हुआ है। मामला शासकीय गुप्त बात अधिनियम के गंभीर अपराध से सम्बन्धित है। उनका तर्क है कि प्रकरण में विनोद मीणा पुलिस निरीक्षक जो कि गृह मंत्रालय भारत सरकार की ओर से अभियुक्त के विरूद्ध परिवाद प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 16.03.2026 के आदेश से अधिकृत किया गया है, द्वारा ही परिवाद प्रस्तुत किया गया है। उनका तर्क है कि इस मामले में प्रार्थी/अभियुक्त के आधिपत्य से बरामद मोबाईल Vivo Model V 2308 की जो एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, उससे प्रकट हो रहा है कि इसी मोबाइल की आई.एम.ई.आई से J P Singh Sir के नाम से सुरक्षित (Save) किए गये नम्बर 8284896315 पर व्हाट्सएप

मैसेज व सूचनाऐं भेजी गई थी। उनका तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध गम्भीर अपराध के अभियोग हैं। प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर मुक्त नहीं किया जाये।

विद्वान लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत किए गये तर्कों के उत्तर में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क है कि प्रकरण में कंवलजीत नामक महिला के कथन पश्चात्वर्ती प्रक्रम पर लेखबद्ध किए गये हैं, जिसकी प्रति उन्हें उपलब्ध नहीं करवाई गई है तथा आरोप पत्र में भी उसकी प्रति उपलब्ध नहीं है। उनका तर्क है कि मोबाइल नम्बर 89449445781 की सिम से Vivo Model V 2308 पर व्हाट्सएप डाउनलोड कर चलाया जाना बताया गया है, परन्तु इस आशय का कोई तथ्य पूर्व के अनुसंधान में नहीं आया है और न ही आरोप पत्र में ऐसा कोई अंकन है।

दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया।

प्रार्थी/अभियुक्त पर आक्षेप है कि उसके द्वारा संविदाकर्मी मैनेजर, डीआरडीओ गेस्ट हाउस, चांदन फील्ड फायरिंग रेंज, जैसलमेर में कार्यरत होते हुए, धनराशि के प्रलोभन में उक्त रेंज में परीक्षण हेतु आने वाली भारतीय सेनाओं व डीआरडीओ के अधिकारियों से सम्बन्धित सूचना व्हाट्सएप मोबाईल नम्बर 8949445781 के द्वारा J P Singh Sir के नाम से सुरक्षित (Save) विदेशी एजेन्ट के मोबाइल फोन नम्बर 8284896315 पर उपलब्ध करवाई गई थीं, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हुआ। अनुसंधान से मोबाइल नम्बर 8949445781 (जिसके माध्यम से सूचनाऐं भेजा जाना बताया गया है) की कैफ से इस मोबाइल की सिम दिनांक 22.04.2018 को प्रार्थी–अभियुक्त महेन्द्र प्रसाद के नाम से जारी होना प्रकट हुआ है।

अनुसंधान के दौरान प्रार्थी/अभियुक्त के आधिपत्य से जब्त Vivo Model V 2308 से सम्बन्धित जो एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्राप्त हुई है, उसके अनुसार इसी मोबाइल के आई.एम.ई.आई नंबर से J P Singh Sir के नाम से सुरक्षित (Save) किए गये नम्बर 8284896315 पर व्हाट्सएप मैसेज व सूचनाऐं भेजी गई थीं। प्रार्थी–अभियुक्त से जब्त अन्य मोबाइल Vivo Model V 2432 में 89449445781 नम्बर की दूसरी सिम भी थी, जो प्रार्थी/अभियुक्त महेन्द्र के नाम से थी तथा इसी सिम से मोबाइल Vivo Model V 2308 में व्हाट्सएप डाउनलोड कर चलाया जा रहा था।

जहां तक J P Singh Sir के नाम से सुरक्षित (Save) विदेशी एजेन्ट के मोबाईल फोन नम्बर 8284896315 का प्रश्न है, अनुसंधान से प्रकट हुआ है कि इस नम्बर की सिम पाकिस्तान स्थित इस्लामाबाद से संचालित (Operate) हो रही थी। ऐसी स्थिति में यह प्रकट हुआ है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा भारतीय सेनाओं व डीआरडीओ के अधिकारियों से सम्बन्धित सूचना व्हाट्सएप मोबाइल नम्बर 8949445781 के द्वारा J P Singh Sir के नाम से सुरक्षित (Save) विदेशी एजेन्ट के मोबाइल नम्बर 8284896315 पर उपलब्ध कराई गई।

जहां तक विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि शासकीय गुप्त बात अधिनियम की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत मामले में परिवाद प्रस्तुत किया जाना आवश्यक था तथा परिवाद पर ही उक्त अपराध का प्रसंज्ञान लिया जा सकता था तो इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि वर्तमान प्रकरण में श्री विनोद मीणा पुलिस निरीक्षक, द्वारा ही परिवाद प्रस्तुत किया गया है और उसे परिवाद प्रस्तुत करने सम्बन्धी अधिकृत करने वाला गृह मंत्रालय भारत सरकार का आदेश दिनांक 16.03.2026 भी पत्रावली पर प्रस्तुत किया गया है। विचारण न्यायालय ने भी परिवाद पर कार्यवाही कर मामले को आरोप पूर्व साक्ष्य (Pre-Charge Evidence) के लिए निर्धारित किया है।

जहां तक धारा 480(6) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों की पालना सम्बन्धी विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त के तर्क का प्रश्न है तो उक्त प्रावधान आज्ञापक नहीं होकर निर्देशात्मक हैं। प्रकरण अब आरोप–पूर्व साक्ष्य (Pre-Charge Evidence) के लिए नियत किया जा चुका है।

अतः प्रकरण के उक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थतियों, अपराध की गम्भीरता को देखते हुए तथा इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि प्रार्थी/अभियुक्त पर राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न करते हुए पाक हैण्डलर को भारतीय सेना तथा डीआरडीओ के अधिकारियों से सम्बन्धित सूचनाएं, व्हाट्सएप पर J P Singh Sir के नाम से सुरक्षित (Save) विदेशी एजेन्ट के मोबाइल फोन पर उपलब्ध करवाने का आक्षेप है, इस प्रकम पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना प्रार्थी–अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य नहीं होने से निरस्त किया जाता है।

विद्वान विचारण न्यायालय से अपेक्षा की जाती है कि वह प्रकरण का यथासंभव शीघ्र निस्तारण का प्रयास करेंगे।

(SHUBHA MEHTA),J

7/JITENDRA SINGH PANWAR